



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012021-224509
CG-DL-E-18012021-224509

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2021/पौष 28, 1942

No. 200]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2021/PAUSHA 28, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2021

का.आ. 220(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 272 की उप-धारा (1) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 271 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के तहत विनिर्दिष्ट आधार पर देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी अधिनियम के तहत सीआईएन यू92132केए2004पीटीसी035261 धारक पंजीकृत कंपनी) के समापन के लिए अधिकरण के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने हेतु श्री राकेश शशिभूषण, अध्यक्ष-सह-प्रबंधन निदेशक, एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (कंपनी अधिनियम के तहत सीआईएन-यू85110केए1992जीओआई013570 धारक सरकारी पंजीकृत कंपनी) को एतद्वारा प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3/100/2015/सीएल-II (एसईआर)]

अंजली भावड़ा, अपर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th January, 2021

S.O. 220(E).— In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of Section 272 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby authorizes Shri Rakesh Sasibhushan, Chairman- cum- Managing Director, Antrix Corporation Limited (a Government Company registered under the Companies Act having CIN-U85110KA1992GOI013570) to present a petition before the Tribunal for winding up of Devas Multimedia Private Limited (a company registered under the Companies Act having CIN U92132KA2004PTC035261) on the grounds specified under clause (c) of Sub-section (1) of Section 271 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/100/2015/CL-II (SER)]

ANJALI BHAWARA, Addl. Secy.